

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर - 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल - aao1.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ2 (ग)(केंडर रिव्यू) अलेसे 1 / 169

दिनांक :- 08-5-2018

आदेश संख्या : 06/2018-19

वित्त विभाग की अधिसूचना क्र. एफ1(11)एफडी/रेवेन्यू/96 पार्ट-II जयपुर, दिनांक 28/04/2016 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 13/08/2013 में दिये गये निर्देशों तथा प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक प.1(3)न्याय/2015 दिनांक 28.04.2015, प.1(3)न्याय/2015 दिनांक 03.05.2016, प.1(3)न्याय/2015 दिनांक 24.04.2017 एवं प.1(6)न्याय/2017 दिनांक 16.04.2018 के क्रम में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा की केंडर स्ट्रेन्थ में विधि विभाग की सूची में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

क्र.स.	कार्यालय का नाम	संशोधन पूर्व पद			संशोधन पश्चात् पद		
		स.ले.अ.-I	स.ले.अ.-II	क.लेखाकार	स.ले.अ.-I	स.ले.अ.-II	क.लेखाकार
1	न्यायाधीश मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण धौलपुर (32810)	0	0	0	0	0	1
2	न्यायाधीश मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बाड़मेर (32811)	0	0	0	0	0	1
3	न्यायाधीश मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण दौसा (32812)	0	0	0	0	0	1
4	न्यायाधीश मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण झालावाड़ (32813)	0	0	0	0	0	1
5	न्यायाधीश मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सवाई माधोपुर (32814)	0	0	0	0	0	1
6	न्यायाधीश मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण भरतपुर (33050)	0	0	0	0	0	1
7	न्यायाधीश मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण प्रतापगढ़ (टीएसपी) (33334)	0	0	0	0	0	1
8	न्यायाधीश मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण करौली (33333)	0	0	0	0	0	1
9	न्यायाधीश मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण II भीलवाड़ा (35072)	0	0	0	0	0	1
10	न्यायाधीश मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण II बून्दी (35073)	0	0	0	0	0	1

उक्त पद सृजन/समाप्ति के उपरान्त राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा की नवीनतम कैडर स्ट्रेन्थ निम्नानुसार है:-

विवरण	स.ले.अ.-I	स.ले.अ.-II	क.लेखाकार	योग
वर्तमान कैडर स्ट्रेन्थ	2173	3491	5242	10906
नवीन कैडर स्ट्रेन्थ	2173	3491	5252	10916


(मंजुला वमा)
निदेशक

क्रमांक :- एफ2 (ग)(कैडर रिव्यू) अलेसे I / 169

दिनांक :- 08-05-2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त(राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. संबंधित विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष.....
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक ।
5. पदस्थापन सहायक अलेसे I/II/III को विभागीय अभिलेखों में आवश्यक संशोधन किये जाने हेतु


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक I)